न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी—उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

अपील संख्या 69 / 2025 **निर्णय दिनांकः** 26-8-25
(जीसीएमएस संख्या 2025 / 114)

1. इन्द्राज पुत्र चेतराम जाति कुम्हार साकिन भागसर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

—अपीलांट्

—बनाम—

स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, खाजूवाला।

—रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 18—09—1995
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थितिः—

1. श्री विजय कुमार पारीक, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री मिलापचन्द, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 18—09—1995 जिसके द्वारा अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र बिना सुने एकतरफा तौर पर खारिज किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा बतौर विशेष आवंटन हेतु चक 20 केएचएम ए के मुरब्बा नम्बर 18/4 तथा मुरब्बा नम्बर 238/60 की तादादी 50 बीघा भूमि के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन पत्र के तमाम सबूतों के साथ प्रस्तुत किये गये थे। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट द्वारा आवेदित दो मुरब्बों में से मुरब्बा नम्बर 18/4 का आवंटन तो अपीलांट को कर दिया गया मगर मुरब्बा नम्बर 238/60 के बाबत अपनी आदेशिका में अंकित किया है कि आवेदक का प्रार्थना पत्र रकबाराज उपलब्ध नही होने के कारण खारिज किया जाता है।

इस संबंध में अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यदि जारी किया भी गया है तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील विधिवत नहीं कराई गई है। अपीलांट ने जब अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था तब न तो कोई तारीख पेशी बताई गई थी तथा ना ही सबूत प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। इस प्रकार अदालत मातहत ने मात्र यह अंकित करते हुए कि अपीलांट द्वारा कोई सबूत पेश नहीं किया गया है। अतः अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जो किसी भी तरह से विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे। आरआरटी 2014–15 (सप) पेज 455 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

अभिभाषक अपीलांट ने जमाबंदी सवंत् 2076–2079 प्रस्तुत कर कथन किया कि अगर उक्त रकबा गजट में उपलब्ध नही था तो इसका आवंटन किसी अन्य व्यक्ति को किसी आधार पर किया गया। जमाबंदी के स्पष्ट है कि मु.न. 238/60 की 25 बीघा भूमि का आवंटन किसी अन्य व्यक्ति को किया गया है।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे। अपने कथनों के समर्थन में अभिभाषक अपीलांट ने आरएलडब्ल्यू 2005 (2) आरजे पेज 596 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपील काफी विलम्ब से विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अपीलांट का आवंटन सबूतों के अभाव में खारिज किया जा चुका है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

प्रकरण में गुणावगुण पर निर्धारण से पूर्व मियाद के बिन्दु को अभिनिर्धारित किया जाना उचित पाते है। जहाँ तक मियांद का प्रश्न है, अपील मियाद अवधि की समाप्ति के पश्चात पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में रेस्पोडेन्ट द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुनवाई एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है। न्यायिक दृष्टांत आरएलडब्ल्यू 2005 (2) आरजे पेज 596 में भी अभिधारित किया है कि **"Period of limitation does not run against non-petitioner being ex-parte order."** अतः प्रकरण का निस्तारण मियाद की बजाय गुणावगुणप पर किया जाना श्रेयस्कर है। अतः न्यायहित में विलम्ब कंडोन कर अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

प्रकरण में जहाँ तक गुणावगुण का प्रश्न है, प्रस्तुत प्रकरण बतौर विशेष आवंटन हेतु चक 20 केएचएम ए के मुरब्बा नम्बर 18/4 तथा मुरब्बा नम्बर 238/60 की तादादी 50 बीघा भूमि के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन पत्र के तमाम सबूतों के साथ प्रस्तुत किये गये थे। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट द्वारा आवेदित दो मुरब्बों में से मुरब्बा नम्बर 18/4 का आवंटन तो अपीलांट को कर दिया गया मगर मुरब्बा नम्बर 238/60 के बाबत अपनी आदेशिका में अंकित किया है कि

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

आवेदक का प्रार्थना पत्र रकबाराज उपलब्ध नही होने के कारण खारिज किया गया है।

इस संबंध में अदालत मातहत की पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि चक 20 केएचएम ए के मुरब्बा नम्बर 18/4 तथा मुरब्बा नम्बर 238/60 की तादादी 50 बीघा भूमि के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन पत्र के तमाम सबूतों के साथ प्रस्तुत किये गये थे। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट द्वारा आवेदित दो मुरब्बों में से मुरब्बा नम्बर 18/4 का आवंटन तो अपीलांट को कर दिया गया मगर मुरब्बा नम्बर 238/60 के बाबत अपनी आदेशिका में अंकित किया है कि आवेदक का प्रार्थना पत्र रकबाराज उपलब्ध नही होने के कारण खारिज किया गया है। पत्रावली वरवक्त आंवटन सलाहकार समिति की बैठक के समक्ष बाद में कैम्प पूगल में पेश हो। उसके पश्चात दिनांक 18-09-1995 अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका में यह अभिलिखित किया गया था कि प्रार्थी द्वारा चक 20 केएचमएम ए के मुरब्बा नं. 238/60 रकबा उपलब्ध नही है। इस बाबत् अपीलांट को किसी प्रकार की सूचना या सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को किसी प्रकार का कोई नोटिस प्रेषित नही किया गया ना ही आदेशिका में नोटिस प्रेषित करने बाबत आदेश किया गया।

प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट रूप से साबित होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य की कतई जॉच नहीं की गई कि अगर उक्त रकबा गजट में उपलब्ध नही है तो अपीलांट से गजट की प्रति मंगवाई जावे। अपीलांट द्वारा पत्रावली में जमाबंदी प्रस्तुत की गई है जिसमें उक्त मुरब्बा नंत्र 238/60 किसी अन्य व्यक्ति को आवंटित शुदा है। अगर रकबा गजट में उपलब्ध नही था तो किसी अन्य व्यक्ति को कैसे आवंटित हो सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को रकबा बाबत समस्त सबूत पेश करने का अवसर दिया जाना चाहिए था। अदालत मातहत द्वारा केवल मात्र अपीलांट के प्रार्थना पत्रको खारिज करने के उद्धेश्य मात्र से बिना तथ्यों की जॉच व अपीलांट का सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना एकतरफा आदेश पारित किया गया है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र अपीलांट के प्रार्थना पत्र को खारिज करने के उद्वेश्य मात्र से एक साईक्लोस्टाईल आदेश के माध्यम से अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र खारिज करने में कानूनी त्रूटि कारित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय को चाहिए था कि वे अपीलांट को वांछित सबूत प्रस्तुत करने का एक अवसर प्रदान करते। विधि का भी यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि किसी भी पक्षकार को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना कोई आदेश पारित किया जाता है तो ऐसा आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत पारित किये गये आदेश की श्रेणी में आता है। प्रस्तुत प्रकरण में भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के प्रतिपादित सिद्वान्तों की अवहेलना करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया जाना स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। जो पुष्टि योग्य आदेश की श्रेणी में नहीं आता है। आरआरटी 2014–15 (सप) पेज 455 का न्यायिक दृष्टांत में भी यह अभिधारित किया गया है कि **Application for special allotment was dismissed ex-parte without giving any notice- No opportunity of hearing given- Held, order set aside and the authority is directed to decide the application afresh.** उपरोक्त नजीर प्रस्तुत प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होती है।

सम्पूर्ण विवेचन से यह तथ्य उभरकर सामने आता है कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष चक 20 केएचएम के मु.न. 18/4 तथा मु.न. 238/60 ता. 50 बीघा भूमि आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिसमें से अपीलांट को मु.न. 18/4 तादादी 24 बीघा अनकमाण्ड रकबा का आवंटन दिनांक 18–09–1995 को कर दिय गया। परन्तु मु.न. 238/60 का आवंटन रकबा राज उपलब्ध नही होने के आधार पर खारिज किया गया।

अपीलांट का यह कहना है कि रकबा गजट में प्रकाशित था ओर उसे किसी अन्य व्यक्ति को बाद में आवंटित कर दिया गया–जबकि अपीलांट का आवेदन "रकबा नही" लिखकर खारिज कर दिया।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

न्यायालय के समक्ष मूल विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या दिनांक 18–09–1995 को मु.न. 238/60 का रकबा विशेष आवंटन हेतु गजट में प्रकाशित था अथवा नही? पत्रावली पर गजट की प्रतिलिपि उपलब्ध नही होने से इस संबंध में कोई विनिश्चय नही किया जा सकता। परन्तु दो तथ्य निर्विवाद है, प्रथम की अपीलांट का इस रकबे से संबंधी आवेदन बिना सुनवाई के खारिज किया गया। द्वितीय की यह रकबा वर्तमान में भीखाराम पुत्र चन्दुराम के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। यह रकबा भीखाराम के नाम किस प्रकार दर्ज हुआ इस संबंध में भी पत्रावली पर कोई साक्ष्य उपलब्ध नही है।

उक्त विवेचना के आधार पर अपील अपीलांट आशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण उपखण्ड़ अधिकारी, खाजुवाला को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि इस बिन्दू की जांच करे कि क्या चक 20 केएचएम का मु.न. 238/60 विशेष आवंटन हेतु गजट में विज्ञापित था अथवा नही? यदि यह रकबा दिनांक 18–09–1995 को विशेष आवंटन हेतु गजट में विज्ञापित पाया जावे तो अपीलांट की वर्तमान पात्रता की जांच कर प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही करे।

7. निर्णय आज दिनांक 26-8-25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर